	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**
	माघ 26, सोमवार, *शाके* 1942–फरवरी 15, 2021 *Magha 26, Monday, Saka 1942- February 15, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त(जीएण्डटी) विभाग

जयपुर, फरवरी 15, 2021

राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,
विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 18, 2020

जी.एस.आर.230.– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 42 का संशोधन.- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 42 के उप-नियम (2) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 के प्रारंभ की तारीख से 31.12.2021 तक की कालावधि के दौरान बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी । "

3. नियम 75 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 75 में,-

(i) उप-नियम (2) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः-

"परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 के प्रारंभ की तारीख से 31.12.2021 तक की कालावधि के दौरान कार्य संपादन प्रतिभूति निम्नानुसार ली जायेगीः-

(क) माल और सेवाओं के उपापन के मामले में, प्रदाय आदेश की रकम का 2.5 प्रतिशत या बोली दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्टानुसार और संकर्मों के उपापन के मामले में, संकर्म आदेश की रकम का 3 प्रतिशत;

(ख) राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में, माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम का 0.5 प्रतिशत; और

(ग) लघु उद्योगों से भिन्न, रुग्ण उद्योगों के मामले में, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के समक्ष लंबित हैं, प्रदाय आदेश की रकम का 1 प्रतिशत; और

(ii) उप-नियम (3) में, खण्ड (च) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः-

"परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 के प्रारंभ की तारीख से 31.12.2021 तक की कालावधि के दौरान संकर्मों के उपापन के मामले में, सफल बोली लगाने वाला संविदा करार पर हस्ताक्षर करते समय अपने प्रत्येक चालू और अंतिम बिल में से बिल की रकम के 3 प्रतिशत की दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की कटौती के लिए विकल्प प्रस्तुत कर सकेगा।"

[क्र. प. 2(1) एफडी/जी एण्ड टी-एसपीएफसी/2017,]
राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।